प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 30.12.24 को पेश हो। [signature]

30.12.24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। प्रार्थना पत्र धारा 251 A स्वीकार किया जाता है, विरुद्ध निर्णय पृथक से लिखा जाकर ह० व० दिनांकित किया गया।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature]

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी सांगोद (राजस्थान)

—::न्यायालय उप जिला कलेक्टर सांगोद जिला कोटा ::—

बइलास रामावतार मीणा (आर .ए.एस.)

मिसल न0 13/2021

तारीख दायरा:— 21/9/2021

बउनवान

आनन्दीबाई पत्नी बद्रीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम अडूसा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

—वादी—

बनाम

1)संतोष नागर पत्नी ओमप्रकाश जाति धाकड निवासी ग्राम अडूसा तहसील सांगोद हाल निवासी कस्बा सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

2)गोम्दा पुत्र मोती जाति मोग्या निवासी ग्राम जोगडा तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

3)राज0 सरकार जर्ये लेण्ड होल्डर तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

—प्रतिवादीगण—

प्रार्थना—पत्र अर्न्तगत धारा 251 ए आर टी एक्ट

—::निर्णय ::— दिनांक :— 30/12/2024

प्रार्थीया की ओर से इस न्यायालय मे इस आश्य का प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थीया के खाते व कब्जेकाश्त की आराजी माल ग्राम जोगडा तहसील सांगोद जिला कोटा मे खसरा नं0 611 की 3.89 हैक्टर आराजी है, जिसमे आवागमन का कोई वैकल्पिक रास्ता नही है, तथा मौके पर खसरा नं0 617 की 0.60 हैक्टर आराजी है, जिसकी खातेदार अप्रार्थी नं0 1 संतोष नागर है, तथा प्रार्थीया के खेत के लिए खसरा नं0 620 व 621 का 642/641 की 0.0770 गै0 मु0 रास्ता प्रार्थीया के खेत तक जाने वाला रास्ता मौजूद है जिसके व प्रार्थीया के खेत के पूर्व अप्रार्थी नं0 2 गोम्दा पुत्र मोती के खाते मे दर्ज खसरा नं0 615 की 0.26 हैक्टर आराजी पडती है, यदि अप्रार्थी नं0 2 गोम्दा के खाते की आराजी खसरा नं0615 की 0.26 हैक्टर मे से 0.04 हैक्टर आराजी दक्षिणी तरफ के रास्ते के रूप मे दर्ज कर दी जाती है तो प्रार्थीया को सरकारी गै0मु0 रास्ता खसरा नं0 0620, 621 के प्रार्थीया के खसरा नं0 611 तक आवागमन करने मे कोई परेशानी नही होगी तथा प्रार्थीया पूर्व से भी इसी रास्ते से होकर अपनी आराजी खसरा नं0 611 पर आती जाती रही है प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा साथ संलग्न

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीनी डी0एल0सी की दर से रास्ते मे जाने वाली उक्त आराजी की प्रतिफल राशी अदा करने को भी तैयार है परन्तु अप्रार्थी नं0 2 डी0एल0सी0 की दर से प्रतिफल राशी लेकर रास्ता देने को तैयार नही है जिसके कारण ही माननीय न्यायालय मे यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगया है, इस लिये प्रार्थना पत्र सम्मानीय न्यायालय मे प्रस्तुत कर प्रार्थीया के पक्ष मे व अप्रार्थीया के विरूद्ध निम्न आश्य की आज्ञा पारित फरमायी जावे कि– यहकि माल ग्राम जोगडा तहसील सांगोद जिला कोटा के खसरा नं0 617 की 0.60 हैक्टर मे से 0.04 हैक्टर उत्तरी तरफ की तथा खसरा नं0 615 की 0.26 हैक्टर मे से 0.04 हैक्टर दक्षिणि तरफ की भूमि को गै0 मु0 रास्ता घोषित किया जाकर उक्त भूमि को राजकिय खाते मे दर्ज किया जावे तथा उक्त रास्ते कि भूमि कि प्रतिकर राशी डी0एल0सी0 दर से रूबरू अदालत प्रार्थीया से प्राप्त करने हैतू अप्रार्थीकम 2 को आदेशित किया जावे तथा अदम प्राप्ती प्रतिकर राशी जी. ए0 55 मे जमा करवाने के आदेश फरमाया जावे, माल ग्राम जोगडा तहसील सांगोद जिला कोटा के खसरा नं0 617 की 0.60 हैक्टर व खसरा नं0 615 की 0.26 हैक्टर मे से 0.08 हैक्टर भूमि मे प्रस्तावि रास्ता से होकर खसरा नं0 620,621 की 0.70 हैक्टर किस्म गै0मु0 रास्ते से प्रार्थीया के खेत खसरा नं0 611 प्रार्थीया के टैक्टर टॉली हल कूली व अन्य कृषि उपकरण के आवागमन मे अप्रार्थी नं0 1 व2 किसी प्राकार कि मदाखल व मजामहत क्षति, बाधा कारित नही करें उक्त कृत्य अप्रार्थी कम 1व 2 न तो स्वयं करें व न ही अन्य किसी व्यक्ति से करावें।

उक्त आश्य का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया बावजूद तलबी अप्रार्थीगण अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। जवाब सरकार मय मौका रिपोर्ट के प्रस्तुत हुई।

वकिल प्रार्थी की बहस सूनि गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली मे तहसीलदार सांगोद द्वारा प्रस्तुत जवाब मौका रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी की आराजी ग्राम जोगडा तहसील सांगोद जिला कोटा मे खसरा नं0 611 की 3.89 हैक्टर में पहुंचने के लिये वादग्रस्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रचलित रास्ता है व उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। ऐसी परिस्थितियों मे न्यायहित में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करना उचित समझा हूँ, चूंकि रास्ते मे खसरा नं. 621 620 सरकारी खाते मे सिवायचक के रूप मे दर्ज है जिसमे से होकर रास्ता दिये जाने के समबंध मे वादी द्वारा राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग परिपत्र कमांक प. 3(17)राज–6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30/09/2021 की मद संख्या 5 मे वर्णितानुसार राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम 1 के खण्ड (ख) के तह गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों को दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत किया जाये।

उपखण्ड अधिकारी
सॉंगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

अतः ग्राम जोगडा तहसील सांगोद जिला कोटा मे खसरा नं0 611 की 3.89 हैक्टर मे पहुचने व आवागमन करने हेतु प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर आदेश पारित किये जाते है ग्राम जोगडा तहसील सांगोद जिला कोटा मे खसरा नं0 617 की 0.60 हैक्टर व खसरा नं0 615 की 0.26 हैक्टर मे से 0.012 हैक्टर (30x4 120 वर्ग मीटर) दक्षिण दिशा की भूमि मे प्रस्तावित रास्ता से होकर खसरा नं0 620की 0.17 हैक्टर मे से जाने वाली 0.0208 हैक्टर(52x4 208 वर्ग मीटर) दक्षिण दिशा, 621 की 0.10 हैक्टर मे से जाने वाली 0.04 हैक्टर(100x4 400 वर्ग मीटर) दक्षिण दिशा की भूमि को गै0 मु0 रास्ता घोषित किया जाता है, उक्त भूमि को प्रार्थीया के खाते मे गै0मु0 रास्ते के रूप मे दर्ज किया जावे उक्त रास्ते मे होकर प्रार्थीया के आवागमन मे अप्रार्थीगण 1व2 किसी प्रकार से मदाखलत मजामहत क्षति, बाधा कारित नही करें तहसीलदार सांगोद उक्त प्रस्तावित रास्ते को खुलासा करके प्रार्थीया का आवागमन बहाल करें प्रचलित डी0एल0सी0 दर0 1138319 रूपये प्रति हैक्टर कि दर से उक्त रास्तें मे खसरा नं0 615 की 0.26 हैक्टर मे से जाने वाली 0.012 हैक्टर भूमि की प्रतिकर राशी 13659 रूपये, खसरा नं0 620 की 0.17 हैक्टर मे से जाने वाली 0.0208 हैक्टर भूमि की प्रतिकर राशी 23677 रूपये की दो गुनी 47354, खसरा नं0 621 की 0.10 हैक्टर मे से जाने वाली 0.04 हैक्टर भूमि की प्रतिकर राशी 45532 की दो गुनी 91065 रूपये अप्रार्थीगण को अदा करने हेतु जी0 ए 55 मे जमा कि जावे तहसीलदार सांगोद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट 7 दिवस मे इस न्यायालय को प्रषित करें।

([illegible] मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सॉंगोद जिला कोटा
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 30/12/2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।